निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 6/2025
दायरा दिनांकः–17.01.2025
निर्णय दिनांकः– 5.11.25

उनवान

1. मोहनलाल जाटव आयु 60 वर्ष पुत्र चेतराम जाटव जाति जाटव निवासी ग्राम देहरी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 5.11.25

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री अमरसिंह मीणा – अप्रार्थी 1

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति है, जिनकी पृथक पृथक कृषि भूमि ग्राम देहरी पटवार हल्का चाचौड़ा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 51 / 129 खसरा नंबर 19 रकबा 1.6693 खसरा नंबर 20 रकबा–0.1391 खसरा नंबर 23 रकबा 1.3911 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.1995 है, जिसमे प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम देहरी में खाता संख्या 30/25 खसरा नबंर 388 कुल खसरा 1 कुल रकबा 4.1480 दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र चेतराम जाति जाटव दर्ज है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजी में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज कराते समय सहवन से प्रार्थी व उसके पिता का नाम मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव व मोहन पुत्र चेतराम जाति, जाटव दर्ज हो गया है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है प्रार्थी व उसके पिता का सही व पूरा नाम दर्ज कराना अतिआवश्यक है। प्रार्थी जब किसान केडिड कार्ड के लिए नकल निकालाकर बैंक मेनेजर साहब के पास गया तब जानकारी होने पर मालूम हुआ ओर प्रार्थी स्वंय का व पिता का सही व वास्तविक नाम रेकार्ड मे दुरूस्त कराने बाबत कही बार राजस्व कर्मचारीयो से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता बताई गई। प्रार्थी अपने आधार कार्ड जनआधार व राशनकार्ड व मुल निवासी प्रमाण पत्र व बैंक डायरी व सरपंच ग्राम पंचायत चाचौड़ा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज भी प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के साथ सलग्न है। मोहनलाल जाटव पुत्र चेतराम जाटव जाति जाटव निवासी ग्राम देहरी तहसील छबड़ा जिला बांरा राज०के है तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 30 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 51 पेश की गई। मोहनलाल जाटव का आधार कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम देहरी तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव दर्ज है तथा खसरा नम्बर 388 में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र चेतराम जाति जाटव दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तरण दर्ज करतें समय सहवन से प्रार्थी व उसके पिता का नाम मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव व मोहन पुत्र चेतराम जाति जाटव दर्ज हो गया है। जबकि वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र चेतराम जाति जाटव है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को राज्य व केन्द्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम देहरी खसरा नम्बर 19 रकबा 1.6693 है0 खसरा नम्बर 20 रकबा 0.1391 है खसरा नम्बर 23 रकबा 1.3911 है0 में प्रार्थी मोहनसिंह पुत्र लालजीराम हिस्सा 1/4 जाटव दर्ज है इसी प्रकार ग्राम देहरी की जमाबन्दी खसरा नम्बर 388 रकबा 4.1480 है में मोहन पुत्र चेतराम हिस्सा 1/20 जाति जाटव दर्ज है खसरा नम्बर 19 रकबा 1.6693 है0 खसरा नम्बर 20 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 23 रकबा 1.3911 है0 भूमि क्रय की हुई है। जिसका नामान्तरण संख्या 133 से खातेदार रामलाल पुत्र प्रभु हिस्सा 1/2 जगन्नाथ पुत्र अमरा हिस्सा 1/2 जाति माली सा0देह से रामसिंह, मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव से दर्ज हुआ खसरा नम्बर 388 रकबा 4.1480 है0 भूमि पर मोहनसिंह पुत्र चेतराम हिस्सा 1/120 जाति जाटव दर्ज है जिसका राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि नामान्तरण संख्या 169 फोती नामान्तरण दर्ज हुआ जिसमें रामसिंह मोहन, शिवचरण पुत्र चेतराम पन्नी बाई बेवा चेतराम भंवरीबाई पुत्री चेतराम दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 19, 20, 23 कुल रकबा 3.1995 है भूमि नामान्तरण संख्या 133 से मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव बेचाननामा से दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है खसरा नम्बर 388 रकबा 4.1480 है0 भूमि फोती नामान्तरण 169 से मोहन पुत्र चेतराम दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज है प्रार्थी मोहन पुत्र चेतराम के सम्बन्ध में ग्राम वासियों से पुछताछ से मालूम हुआ कि मोहन पुत्र चेतराम नाम का ग्राम में एक ही व्यक्ति है। मोहनसिंह पुत्र लालजीराम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम में निवास नही करता है ग्राम वासियों से पुछताछ में प्रार्थी मोहन पुत्र चेतराम जाति जाटव व मोहन पुत्र लालजीराम जाति जाटव एक ही व्यक्ति है। प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नही होता है प्रार्थी कें दस्तावेज लेने के लिए सम्पर्क किया गया प्रार्थी मोहन के दस्तावेजा में आधार कार्ड राशन कार्ड, प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पुत्र चेतराम जाटव आधार कार्ड में दर्ज है व प्रार्थी का राशन कार्ड में मोहनलाल पुत्र चेतराम दर्ज है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 30 में मोहन पुत्र चेतराम हिस्सा 1/120 जाति जाटव दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम देहरी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 51 में मोहनसिंह पुत्र लालजीराम हिस्सा 1/4 जाति जाटव दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में मोहनलाल जाटव पुत्र चेतराम जाटव दर्ज है इससे यह साबित होता है प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल पुत्र चेतराम जाटव है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण संख्या 169 फोती नामान्तरण संख्या मोहन पुत्र चेतराम एवं बेचान नामा के नामान्तरण संख्या 133 से मोहनसिंह पुत्र लालजीराम जाति जाटव दर्ज होना बताया है तथा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के प्रमाणित नही होना बताया है प्रार्थी अपना नाम मोहनलाल जाटव पुत्र चेतराम जाटव दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी के खाता संख्या 30 में मोहन पुत्र चेतराम के स्थान पर मोहनलाल जाटव पुत्र चेतराम जाटव दर्ज किया जाना न्यायोचित है। परन्तु खाता संख्या 51 में मोहनसिंह पुत्र लालजीराम बिलकुल अलग नाम है जिसे धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत दुरूस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का नाम व पिता का नाम अलग–अलग दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्राथना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम देहरी तहसील छबडा के खाता संख्या 30 के खसरा नम्बर 388 रकबा 4.1480 है0 में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र चेतराम के स्थान पर मोहनलाल जाटव पुत्र चेतराम जाटव दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा